



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254587
CG-DL-E-06062024-254587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 293]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

सा.का.नि. 314(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 29क में, "वायुयान" शब्द, जहां कहीं भी आता है, के स्थान पर "वायुयान या वायुयान इंजन" शब्द रखे जाएंगे।

[फ़ा. सं. K-20019/3/2019-एसईजेड-भाग(1)]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार संशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 29A of the Special Economic Zones Rules, 2006, for the word "aircraft" , wherever it occurs, the words "aircraft or aircraft engine" shall be substituted.

[F. No. K-20019/3/2019-SEZ-Part(1)]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 194 (E), dated the 14th March, 2024.